

अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2()2020 / कार्मिक / प्रमुवस / 344 - 460

दिनांक 27 फरवरी, 2020

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

वन विभाग।

विषय :- गृह जिले में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों के सबन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का परिपत्र पत्रांक 4049-4170 दिनांक 14.10.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त परिपत्र से आपके कार्यालय में स्वीकृत नोन फील्ड के पदों के विरुद्ध गृह जिले में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से पदस्थापित (नोन फील्ड) पदों का ही कार्य लिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि कुछ कार्यालयों में नोन फील्ड के पदों के विरुद्ध गृह जिले में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से फील्ड का कार्य भी लिया जा रहा है। आप इस सबन्ध में लौटती डाक से अवगत करावें कि आपके कार्यालय में नोन फील्ड के पदों के विरुद्ध गृह जिले में पदस्थापित किन किन क्षेत्रीय वन अधिकारियों से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में फील्ड का कार्य लिया जा रहा है एवं क्यों। कारण सहित अवगत करावे।

भवदीय,


(जे.ए.स्वान)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर